



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]
No. 663]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2011/वैशाख 1, 1933
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2011/VAISAKHA 1, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2011

अधिसूचना सं. 20/2011-आय-कर

का.आ. 779(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना सं. 80/2010, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 में 'आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक योजना', के स्थान पर 'टाटा ए आई जी लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी की वार्षिक योजना' पढ़ा जाए।

[फा. सं. 178/4/2009-आ.क.नि.-1]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st April, 2011

Notification No. 20/2011-Income-tax

S.O. 779(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, (Central Board of Direct Taxes) number 80/2010, dated the 19th October, 2010 to be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), in paragraph 1 for "annuity plan of the ICICI Prudential Life Insurance Company Limited", read "annuity plan of the TATA AIG Life Insurance Company".

[F. No. 178/4/2009-ITA-I]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA-I)